

## (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद गोणडा में बहराइच-गोणडा-फैजाबाद मार्ग एस0एच0-30 के किमी 40.200 से 64.232 तक मार्ग के सुदृढ़ीकरण में प्रभावित 23.0352 है। संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।
	(1) राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
	(2) जिला	गोणडा
	(3) वन प्रभाग	गोणडा
	(4) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेन में)	32.0352
	(5) वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
	(6) हरियाली का घनत्व	0.3
	(7) प्रजाति वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परगणना (संलग्न की जाय) सिचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में आर0एल0एफ0 आर0एल0-2 मी0 पर परगणना और एक आर0एल0-4 मी0 पर संलग्न की जाये।	2489 वृक्षों की सूची संलग्न है।
	(8) भू क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	संवेदनशील नहीं है।
	(9) वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन सीमा से अनुमानित दूरी	शून्य
	(10) क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण, जैव मंडल रिजर्व, बाघ, रिजर्व हाथी कोरी डोर आदि का भाग है। यदि हॉ तो क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाये।	नहीं
	(11) क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जगत की दुर्लभ/संकटापन/विशेष प्रजातियाँ पायी जाती हैं यदि हॉ तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं
	(12) क्या कोई सुरक्षित पुरातत्त्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण -पत्र के साथ अपेक्षित हो दें।	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरे के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	हॉ
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है/नहीं/यदि हॉ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य भी चल रहा है।	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
	(1) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन से इसकी दूरी, भूखण्डों की संख्या, प्रत्येक भूखण्ड का आकार	कैमूर वन्यजीव प्रभाग के रावर्टसगंज एवं हलिया रेंज के अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु सकल क्षेत्रफल 105 हेक्टेन शुद्ध 65 हेक्टेन क्रमशः डोमखरी कोनो-1 में 25 हेक्टेन शुद्ध क्षेत्रफल 10 हेक्टेन, हरा

		क0न0-1 में सकल क्षे0 26 हे0 शुद्ध क्षे0 20 हे0, हरा क0न0-3 में सकल क्षे0 27 हे0 शुद्ध क्षे0 20 हे0 एवं हरा क0न0-3 में सकल क्षे0 27 हे0 शुद्ध क्षे0 15 हे0
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्षेत्र वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता है।	-
	(3) रोपित की जान वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।	-
	(4) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय। (5) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्ता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय)	2,72,16,000.00 (दो करोड़ बहतर लाख सोलह हजार रुपये मात्र) प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव, प्रभाग मिर्जापुर द्वारा उपलब्ध कराये गये उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपरोक्ता कालम-7 (11, 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
	(1) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	4448.00 वर्गमी0 (444800.00 हे0)
	(2) जिले का वन क्षेत्र	11702.233 हे0
	(3) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	32 मामले (145.3042 हे0)
	(4) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	93.910 हे0 (वन व वनेत्तर)
	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	54.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	39.442 हे0
	(5) वर्तमान तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी	-
	(क) वन भूमि पर	42.468 हे0
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	36.730 हे0
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	परियोजना महत्वपूर्ण है जनता के हित में प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

क्षेत्रीय वन अधिकारी  
गोण्डा रेज  
वन प्रभाग, गोण्डा

क्षेत्रीय वनाधिकारी  
कटरा बाजार, रेज  
गोण्डा

प्रभागीय वनाधिकारी  
उप प्र0 व0 30 अ0 प्रभाग प्रभाग  
बलरामपुर गोण्डा प्रभाग समझा।  
गोण्डा वन प्रभाग गोण्डा (उपप्र0)